



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24012022-232841  
CG-MH-E-24012022-232841

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943

No. 44]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 24 जनवरी, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2022/67.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, ए.एम.सी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, द एम्पायर बिज़नेस सेंटर, एम्पायर कॉम्प्लेक्स, 414, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र 400013, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 के विनियम 4 के अधीन मान्यता प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम को मान्यता 17 जनवरी, 2022 को प्रारंभ होने वाले और 16 जनवरी, 2023 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए, इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएँ के अध्याधीन, प्रदान करता है:

- समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./600/2021-22]

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th January, 2022

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/67.**—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of recognition under Regulation 4 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 by AMC Repo Clearing Limited, The Empire Business Centre, Empire Complex, 414, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra 400013 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said clearing corporation for one year commencing on the 17<sup>th</sup> day of January, 2022 and ending on the 16<sup>th</sup> day of January, 2023 subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Clearing Corporation shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT.-III/4/Exty./600/2021-22]